



ନିଃଶୁଳ୍କ



## झारखण्ड मुख्यमंत्री मर्झियां सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदिका का नाम – .....

2. पिता/पति का नाम – .....

3. पता—ग्राम/मुहल्ला— ..... थाना— .....

पंचायत/वार्ड— ..... प्रखण्ड/अंचल (शहर)— .....

जिला- .

4. मतदाता पहचान पत्र संख्या— .....

5. आधार संख्या –

6. खाता संख्या –

7. खाता आधार लिंकड़\* है अथवा नहीं – हाँ नहीं

\*दिसम्बर-2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है।

8. बँक का नाम (शाखा सहित) ..... 9. IFSC Code – .....

10. ARTIFICIAL WOOL .....  
.....

११. वैकल्पिक राज्या (वैकल्पिक)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

12. काट-सामान्य/अनु. जात/अ.ज.जात/अन्य पिछड़ा वर्ग— .....

13. आयु -  14. जन्म तिथि -

15. आवादका का पहचान चब्बी - .....

16. आगांदका का माबाइल नंबर-	<input type="text"/>				
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

17. आवादका विवाहित है— हां  नहां

18. आवादका का स्थान – विधवा  तलाकशुदा  परत्यक्ता

## संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रति



- |                        |                          |                          |                              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. आधार कार्ड          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. मतदाता पहचान पत्र         |
| 3. बैंक खाता का पासबुक | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. पैन कार्ड                 |
| 5. राशन कार्ड          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. स्वघोषणा पत्र (मूल प्रति) |



**घोषणा:-** मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण पात्रता रखती हूँ।

तिथि :— .....

### आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

## स्वघोषणा पत्र

### झारखण्ड मुख्यमंत्री मंड़ीयां सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं, (आवेदिका का नाम) .....

पिता/पति का नाम— .....

उम्र ..... पता— ग्राम/मुँह ..... पो० ..... थाना .....

पंचायत/वार्ड नं० ..... प्रखण्ड/अंचल— ..... जिला .....

मोबाइल संख्या— .....

#### एतद द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि –

- मैं या मेरा पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित/ स्थाईकर्मी/ संविदाकर्मी/ मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित नहीं हैं अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं।
- मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है।
- मैं, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ।
- मैं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारी नहीं हूँ।
- मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक के परिवार की सदस्य नहीं हूँ।
- मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखण्ड मुख्यमंत्री मंड़ीयां सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम, 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा।

उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाये जाने पर मैं ख्ययं जिम्मेवार होऊँगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनीय होगी।

## सत्यापन प्रतिवेदन

1. आवेदिका का नाम – .....
2. पिता/पति का नाम – .....
3. पता— ग्राम/मुहल्ला – ..... थाना – .....  
पंचायत/वार्ड— ..... प्रखण्ड/अंचल (शहर) – .....
- जिला— ..... मो० नंबर— .....

आवेदिका झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य हैं। आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र ..... वर्ष है।

आवेदिका द्वारा दिये गये दस्तावेज की जाँच की गई और जाँच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्पानुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता/करती हूँ। (अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।)

(.....)

जाँच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

- आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त उन्हें झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजनान्तर्गत TSP/OSP/SCSP में आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
- आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृति संख्या एवं तिथि:-

स्वीकृत/अस्वीकृत

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी।

### पावती रसीद

## झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना।



पावती क्रमांक: .....

1. आवेदिका का नाम – .....

माननीय मुख्यमंत्री  
झारखण्ड सरकार

2. पिता/पति का नाम – .....

3. पता— ग्राम / मुहल्ला – ..... थाना – .....

पंचायत/वार्ड— ..... प्रखण्ड/अंचल (शहर) – .....

जिला— ..... मो० नंबर – .....

तिथि :- .....

अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर

नोट : प्रखण्ड/अंचल कार्यालय द्वारा Voice Call या SMS के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नं. पर दी जाएगी।



## योजना की संक्षिप्त जानकारी (आवेदिका के लिए)



माननीय मुख्यमंत्री  
झारखण्ड सरकार

1.	योजना का नाम	झारखण्ड मुख्यमंत्री मंडियां सम्मान योजना
2.	अर्हता	a) झारखण्ड की निवासी हो। आवेदिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो। b) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड हो।
3.	अपवर्जन मानक	a) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सर्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित/स्थायीकर्मी/ संविदाकर्मी/ मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन/परिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों। b) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो। c) आयकर अदा करने वाले परिवार। d) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। e) EPF खाताधारी आवेदक महिला।
4.	आर्थिक लाभ	प्रति लाभुक प्रतिमाह रु० 1000/-
5.	सम्पर्क विवरणी	प्रखण्ड/अंचल कार्यालय – जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग– समाधान नहीं होने की स्थिति में विभागीय टोल फ्री नं० 18008900215 पर शिकायत/सुझाव दर्ज किया जा सकता है।